न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 117 / 2015

उनवान

अनवर अली बनाम मगना

आवेदन पत्र वास्ते आदेश 26 नियम 9 सी0पी0सी0 मौका निरीक्षण की कार्यवाही बाबत

–: आदेश :–

दिनांक :– 17.3.21

अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा रामा पुत्र जोरा से क्रय की गयी तथा वादी ने वाद पत्र में भूमि रामा पुत्र जोरा की होने व रामा पुत्र काना एक ही व्यक्ति होने की बात कहते हुये अभिवचन कर दावा प्रस्तुत किया गया है। मौके की वास्तविक व रेकार्ड की सही स्थिति पटवारी हल्का से मंगाया जाना न्यायोचित है। अतः मौका रिपोर्ट तलब करने की कृपा करे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण वर्तमान में अंतिम बहस में नियत है। प्रतिवादी द्वारा समस्त दस्तावेज अपने जवाब दावे के साथ न्यायालय में पेश किये जा चुके है। प्रतिवादी अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। न्यायालय किसी भी पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित नही कर सकता जिस संबध में विभिन्न न्यायालय द्वारा समय–समय पर न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वादी ने उक्त वाद विभाजन हेतु पेश किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया प्रस्तुत प्रकरण खातेदारी उद्घोषणा से संबन्धित है। वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में अपने कथन सिद्व करने हेतु साक्ष्य व दस्तावेज पेश किये है। मौका रिपोर्ट द्वारा प्रतिवादी प्रकरण में क्या सिद्व करना चाहते है यह स्पष्ट नही है। विधि का सुस्थपित सिद्धान्त है कि मौका रिपोर्ट कमिश्नर के आधार पर किसी पक्षकार के पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित नही की जा सकती।

अतः उक्त आवेदन पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकार
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested